

कार्यालय
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या - प्राविद्यपरिषद् सम्बद्धता/2022/7847

लखनऊ दिनांक 28/08/2022

कार्यालय द्वारा

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राज्यीय काउन्सिल ऑफ इंजिनियरिंग, नई दिल्ली द्वारा वैश्विक सत्र 2022-23 हेतु विदेशीय भारतीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 28/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवंटित नई संस्थानों को सम्बद्धता पूर्व से संबन्धित संस्थानों को सम्बद्धता विस्तार- पर्यवेक्षण जैसे क्षमता वृद्धि प्रकल्प अथवा यहाँ पर विचार करने हेतु सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता- सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पर्यवेक्षण एवं उसमें अखिल प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है।

संस्था का कोड एवं नाम : 1645-MEHALVAAR INSTITUTE OF PHARMACY

क्र.सं.	पठ्यक्रम का नाम	एउ-आईएनसीटीआईई-बीबीबीआई द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1.	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एउ-आईएनसीटीआईई-बीबीबीआई द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982 विनियमवली-2000, सेमेटरा विनियमवली-2018 तथा संस्था-संस्था पर निर्भर वास्तविकता का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों के लिए प्रत्येक पर्यवेक्षण हेतु ₹-20150.00/-, प्रवेशी, दो वर्षीय राज्यीय पर्यवेक्षण हेतु ₹-45000.00/-, प्रवेशी एवं एक वर्ष दो वर्षीय पर्यवेक्षणों हेतु अर्ध-राज्यीय पर्यवेक्षण के अधीनस्थ, हेतु ₹-22500.00/-, प्रवेशी शुल्क ही प्रत्येक पर्यवेक्षण से प्राप्त किया जाएगा। प्रयोगशाला के अधीनस्थ वास्तविकताओं से शुल्क के सम्बन्ध में समझ-समझ पर समझ द्वारा निर्धारित किये जाने वाली वास्तविकताएं प्रस्तुती होगी, और तदनुसार कार्यवाही किया जायक आवश्यक होगा। जीस निर्धारण समिति द्वारा यही सत्र 2022-23 हेतु जीस का पुनर्निर्धारण किया जाया है, तो जीस की स्वीकृति ही लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित शर्तों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समझ-समझ पर निर्भर वास्तविकता के अनुसार निर्धारण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश वास्तव द्वारा निर्मित विदेशीय-अधीनस्थ-वास्तविकता-वैश्वीय-वैश्वीय एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा बकाये को निर्देशी विनियम, शर्तों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।